न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

अपील कमांक 442—तीन/2002 — विरूद्व आदेश दिनॉक 29—12—2001 — पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना — प्रकरण कमांक 332/2000—2001 अपील

लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम
ग्राम जीगनी तहसील मुरैना
जिला मुरैना मध्यप्रदेश ———अपीलांट

विरूद्व

1— ओमप्रकाश पुत्र तोताराम बैश्य
2— विशाल 3— अभिषेख पुत्रगण बेदप्रकाश
4— कु.मानसी पुत्री बेदप्रकाश
सभी निवासी मारकण्डेश्वर बाजार मुरैना ———असल रिस्पाण्डेन्ट
5— मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर मुरैना
6— मध्य प्रदेश शासन व्दारा आयुक्त औकाफ
एंव माफी विभाग मोतीमहल ग्वालियर ———तरतीवीं रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(रिस्पा. 1 से 4 के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 10 –2015 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 332/2000—2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.2001 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पाण्डेन्ट कमांक 1 एंव 2 ने अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उनके स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम बड़ोखर स्थित आराजी कमांक 1179 रकबा 11 विसवा है किन्तु बंदोवस्त के समय इस भूमि का नक्शे में रकबा कम कर दिया गया है, त्रृटि सुधार की जावे। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 36/2000—01 अपील पंजीबद्व किया एंव वाद कार्यवाही आदेश दिनांक 24.1.2001 पारित किया तथा वर्ष 1996 में बंदोवस्त कार्यवाही के दौरान नक्शा तैयार करते

समय हुई त्रृटि को दुरूस्त करते हुये नक्शा सॅशोधन के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण कमांक 332/2000–2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.2001 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पा0 कमांक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ बहस में उठाये गये तथ्यों एंव अपर कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 36/2000–01 अपील में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि रिस्पाण्डेन्ट कमांक 1 एंव 2 के स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम बड़ोखर स्थित आराजी कमांक 1179 रकबा 11 विसवा भूमि है और बंदोवस्त वर्ष 1996 में नक्शा तैयार करते समय नक्शे में रिस्पा0 की कम हुई भूमि की त्रृटि को दुरूस्त करने हेतु अपर कलेक्टर मुरैना से मांग की गई है। अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि रिस्पा0 की आराजी कमांक 1179 से लगी हुई आराजी कमांक 1181 उसकी है नक्शा सुधार हेतु सीमांकन किया गया, तब उसे मेढ़िया कास्तकार होते हुये भी सूचना नहीं दी गई। रिस्पा0 की ओर से बताया गया कि सर्वे नंबर 1181 की भूमि माफी/औकाफ भूमि है उन्होंने केवल उनके स्वामित्व की आराजी कमांक 1179 रकबा 11 विसवा भूमि के नक्शा सुधार की मांग की है एंव संहिता की धारा 107 के अधीन नक्शा सुधार के अधिकार कलेक्टर को हैं। अपीलांट को आराजी कमांक 1179 के नक्शा सुधार में क्या छति हो रही है प्रमाणित नहीं कर सकता है। उन्होंने अपील अमान्य करने की प्रार्थना की है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 36/2000–01 अपील के अवलोकन से पाया गया कि रिस्पाण्डेन्ट कमांक 1 एंव 2 ने स्वंय् के स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम बड़ोखर स्थित आराजी कमांक 1179 रकबा 11 विसवा की भूमि बंदोवस्त वर्ष 1996 में नक्शा तैयार करते समय नक्शे में कम जाना बताते हुये त्रृटि को दुरूस्त करने की मांग की है। अपर कलेक्टर व्दारा रिस्पा.क. 1 व 2 के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच तहसीलदार मुरैना से कराई है। तहसीलदार मुरैना ने मौके पर राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी को भेजकर वस्तुस्थिति पर प्रतिवेदन प्राप्त किया है। राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 17–1–2001 के अनुसार खसरा के अनुसार सर्वे नंबर 1179 रकबा ।।।) दर्ज है बंदोवस्त के नक्शा 1996 में रकबा ।।।) सही दर्ज है किन्तु नक्शा नवीनीकरण के समय पटवारी नक्शा में गलती हुई है उसमें रकबा परिमाप के मान से कम आता है और इसी रकबा पूर्ति के मान से अपर कलेक्टर मुरैना ने संहिता की धारा 107 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन नक्शा दुरूस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अपर

आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 332 / 2000—2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.2001 से अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 24.01.2001 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 332 / 2000—2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.2001 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालिर